

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 04 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 01.07. 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं० - एफ०पी० / यू०के / रोड / 43594 / 2019

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, के पत्रांक- 5626 / 12-1 दिनांक- 16.06.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय



(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 5626 / 12-1

दिनांक , चम्पावत 16-6-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोडा।

विषय - जनपद - नैनीताल के ब्लॉक ओखलकाण्डा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/68/2023/FC Dated 03.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) का पत्रांक 735/8सी० दिनांक 04.06.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है -

क्र०सं०	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1.	The proposed diversion area KML file is in line format. So, the User Agency shall upload proper KML in polygon format.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण की के० एम० एल० अपलोड के दी गयी है।
2.	The CA area has been changed, so CA scheme and suitability certificate of revised CA area shall be submitted.	प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-1)
3.	As per DSS analysis, the proposed CA area has 1.00 ha MDF. The DFO shall certify that the proposed area is suitable for plantation.	उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वनीकरण स्थल ग्राम-वारी गूँठ में 3.06 है० सिविल भूमि में से 2.06 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। जबकि 1 है० भूमि में मध्यम घना जंगल होने के कारण क्षेत्र में बांज की प्रधानता के कारण बांज का सहायित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ए०एन०आर०) कार्य किये जाने की योजना प्रस्तावित है।
4.	SIR of DFO is required in revised format.	प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-2)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(नवीन चन्द प्रस्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 5626 / 12-1 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eePWDhowali@rediffmail.com



पत्रांक
सेवा में,

735

/8सी0

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रतिपत्र नं. 11842
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
दिनांक 12-1
10-6-2025

दिनांक 4/06/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

विषय- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य निर्माण हेतु के अन्तर्गत गैरवानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के/रोड/43594/2019)

सन्दर्भ- भारत सरकार के पत्रांक 4559/12-2 चम्पावत दिनांक 03/05/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	The proposed diversion area KML file is in line format so the user agency shall upload proper KML in polygon format.	अपलोड कर दिया गया है।
2	the CA area has been changed so CA scheme and suitability certificate of revised CA area shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
3	As per DSS analysis the proposed CA area has 1.00ha MDF . the DFO shall certify that the proposed area suitable for plantation.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
4	SIR of DFO is required in revised format.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अपलोड किया जाना है।

9074086

प्रकाश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक

/8सी0

दिनांक / 06/2025

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता अ०ख०, लो०नि०वि० भवाली को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वनक्षेत्राधिकारी देवीधुरा रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वारी गूठ, देवीधूरा रेंज, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, कुल क्षेत्रफल 2.06 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना
(वर्ष 2025 - 26)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- (1100 पौधे प्रति हे०) (कुल पौधे 2719)					
1100 पौध का रोपण		अध्याय -2 वृक्षारोपण कार्य			
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र.सं.	कार्य विवरण	ईकाई	क्षेत्रफल	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति हे०	2.06	1453.00	2993.18
2	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे०	2.06	1259.00	2593.54
3	घेरबाड़ कार्य				
4	कुली वाल (100 घ०मी० प्रति हे० 193 र०मी० प्रति हे०) नोट - यह 67900 प्रति हे० घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। :1x0.45x1.15) दर औसत (628+730)/2	प्रति घ०मी०	206	679.00	139874.00
5	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	2719	15.90	43235.28
6	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गडडा	2719	15.80	42963.36
7	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्दूर फर्रे 450 र०मी० (450x235=15750) (औसत साईज-1x0.30x0.30) 2- चाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज-4x2.5x1.00) कुल योग-28750	प्रति हे०	2.06	28750.00	59225.00
8	निरीक्षण बटिया	प्रति हे०	2.06	1046.00	2154.76
	उप-योग				293039.12
9	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक मू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुसंरक्षण कार्य -2 प्रतिशत	प्रति हे०	-	-	5860.78
10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत		-	-	1465.20
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य - 0.50 प्रतिशत		-	-	1465.20
12	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत		-	-	5860.78
	प्रथम वर्ष का योग				307691.08

	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	प्रति गडडा	2719	2.48	6743.62
2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	प्रति २०मी०	6000	1.50	9000.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	प्रति पौध	2719	2.70	7341.84
4	पौध ढुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध				
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	2719	12.17	33092.66
6	सिरबोझ ढुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	2719	8.16	22188.67
7	पौध रोपण	प्रति पौध	2719	4.44	12073.25
8	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	प्रति पौध	2719	1.64	4459.49
9	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	प्रति पौध	2719	1.64	4459.49
10	खाद/रसायन	प्रति पौध	2719	0.05	122.36
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है० = 20568				
12	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	2.06	20568.00	42370.08
13	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
14	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
15	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	2.06	318.00	655.08
16	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्रूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	प्रति है०	2.06	26.67	54.94
17	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलैक्स आदि प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	प्रति है०	2.06	1.50	3.09
	उप-योग				142564.57
18	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत		-	-	1425.65
19	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत		-	-	712.82
20	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत		-	-	2851.29
21	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्प्लीट कार्य		-	L.S.	1000.00
	द्वितीय वर्ष का योग				148554.33

तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0 = 30852				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा)	प्रति पौध	2719	38.93	105858.46
6	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी प्रथम बार	प्रति पौध	2719	1.64	4459.49
7	निराई-गुड़ाई मल्विंग थावलाबन्दी द्वितीय बार	प्रति पौध	2719	1.64	4459.49
8	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				178987.63
9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				1789.88
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				894.94
11	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				3579.75
	तृतीय वर्ष का योग				185252.20
चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				321.05
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	चतुर्थ वर्ष का योग				66457.56

पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०				
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत	प्रति है०	2.06	1.56	3.21
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत	प्रति है०	2.06	0.78	1.61
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	प्रति है०	2.06	3.12	6.43
	पंचम वर्ष का योग				64221.45
षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०				
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				321.05
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	षष्ठम वर्ष का योग				66457.56
सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है०				
2	5 है० तक वृक्षारोपण -	प्रति है०	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				6742.07
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	सप्तम वर्ष का योग				72878.58

अष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				321.05
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	अष्ठम वर्ष का योग				66457.56
नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				321.05
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	नवम वर्ष का योग				66457.56
दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य					
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0				
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00	63555.12
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -				
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00	655.08
	उप-योग				64210.20
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				642.10
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				321.05
8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत				1284.20
	दशम वर्ष का योग				66457.56

एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -			
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			63555.12
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00
	उप-योग			655.08
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			64210.20
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			642.10
8	अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत			321.05
	एकादश वर्ष का योग			1284.20
				66457.56
द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0			
2	5 है0 तक वृक्षारोपण -			
3	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -	प्रति है0	2.06	30852.00
4	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -			63555.12
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	2.06	318.00
	उप-योग			655.08
6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			64210.20
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			642.10
8	अन्य आकरिमक व्यय - 2 प्रतिशत			321.05
	द्वादश वर्ष का योग			1284.20
				66457.56
व्यय सार:-				
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य	प्रति है0		307691.08
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य	प्रति है0		148554.33
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	प्रति है0		185252.20
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	प्रति है0		66457.56
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)	प्रति है0		64221.45
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	प्रति है0		66457.56
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)	प्रति है0		72878.58
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)	प्रति है0		66457.56
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)	प्रति है0		66457.56
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)	प्रति है0		66457.56
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)	प्रति है0		66457.56
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)	प्रति है0		66457.56
	सम्पूर्ण योग			1243800.53

त. द.

प्रभागीय वन अधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

वन अधिकारी
देवीपुरा वन प्रभाग

प्राकलन वावत- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के तहत तहत ए० एन० आर० (Assisted Natural Regeneration) कार्य

क्रम सं०	कार्य विवरण	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (200 पौधों का रोपण)	200		
	प्रथम वर्ष			
1	सर्वे प्लाट का चिन्हिकरण एवं सीमांकन (प्रति है० में 0.10 है० के 5 प्लाट, पत्येक प्लाट 4 पिलरो से घिरा रहेगा)	प्रति है०	325.00	325.00
2	जैव विविधता व पुर्न उत्पादन सर्वेक्षण	प्रति है०	260.00	260.00
3	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति है०	1453.00	1453.00
4	क्षेत्र की सफाई	प्रति है०	1259.00	1259.00
5	घेरबाड़ कार्य			
6	कुली वाल (100 घ०मी० प्रति है० 193 र०मी० प्रति है०)	प्रति घ०मी०	679.00	67900.00
7	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्दूर फरें 900 र०मी० (900x27=24300) औसत साईज-1x0.30x0.30 2- चाल-खाल 2 सं० (2x5000=10000) औसत साईज-4x2.5x1.00 कुल योग-34300	प्रति है०	44500.00	44500.00
8	बॉज/बॉज सहचरी/साल/साल सहचरी/चीड़ क्षेत्रों में सहचरी (बॉज/काफल/फल्याँट/बुराँश) हैज नुमा पौधों का सिंगलिंग कार्य 150 पौध	प्रति है०	15.80	2370.00
9	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की थावलाबंदी तथा मल्विंग एक बार 200 पौध	प्रति है०	4.44	888.00
10	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुड़ाई प्रथम बार 200 पौध	प्रति है०	1.64	328.00
11	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुड़ाई द्वितीय बार 200 पौध	प्रति है०	1.64	328.00
12	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 240 पौध	प्रति पौध	15.90	3816.00
13	गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	15.80	3160.00
14	निरीक्षण बटिया	प्रति है०	1046.00	1046.00
15	खाद/रसायन	प्रति पौध	0.45	90.00
16	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/10 है०=10284	प्रति है०	10284.00	10284.00
	उप-योग			138007.00
	या-:			138010.00
17	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			690.05
18	श्रम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत			690.05
19	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			2760.14
	प्रथम वर्ष का योग			142150.24
	या-:			142160.00

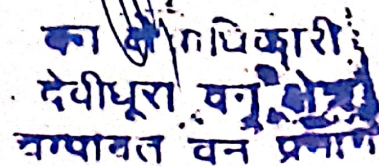
द्वितीय वर्ष-				
1	गडडा भरान	प्रति गडडा	2.48	496.00
2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	प्रति २०मी०	1.50	1350.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 240 पौध	प्रति पौध	2.70	648.00
4	पौध दुलान			
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	12.17	2920.80
6	सिरबोझ दुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	8.16	1958.40
7	पौध रोपण	प्रति पौध	4.44	888.00
8	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
9	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
10	खाद/रसायन (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	0.45	180.00
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/10 है०=15426	है०	15426.00	15426.00
12	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग			25497.20
	या-:			25500.00
13	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			127.50
14	श्रम कल्याण कार्य-1 प्रतिशत			255.00
15	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			509.94
	द्वितीय वर्ष का योग			26392.44
	या-:			26390.00
तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/10 है०=15426	है०	15426.00	15426.00
2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग			17056.00
	या-:			17060.00
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30
6	श्रम कल्याण कार्य-1 प्रतिशत			170.60
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.12

	तृतीय वर्ष का योग			7.02
	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य	या-:		17660.00
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है0 पर) (12855 दर से 12 माह) / 10 है0 = 15426	है0	15426.00	15426.00
2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
4	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00
	उप-योग			17056.00
	या-:			17060.00
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30
6	श्रम कल्याण कार्य-1 प्रतिशत			170.60
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.12
	चतुर्थ वर्ष का योग			17657.02
	या-:			17660.00
3.5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य			
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है0 पर) (12855 दर से 12 माह) / 10 है0 = 15426	है0	15426.00	15426.00
2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00
4	सुरक्षा दीवाल / घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00
	उप-योग			17056.00
	या-:			17060.00
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30
6	श्रम कल्याण कार्य-1 प्रतिशत			170.60
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.12
	पंचम वर्ष का योग			17657.02
	या-:			17660.00
	व्यय सार-:			
3.1	प्रथम वर्ष			142160.00
3.2	द्वितीय वर्ष			26390.00
3.3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य			17660.00
3.4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य			17660.00
3.5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य			17660.00
	योग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष			221530.00
	कुल ए0 एन0 आर0 कार्य का क्षेत्रफल	1	221530.00	221530
	या-: Say (IN LAC)			2.22


प्रत्यक्ष वर्द

प्रभागाध्यक्ष वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।


प्रभागाध्यक्ष वनाधिकारी
चम्पावत


वनाधिकारी
देवीधुरा वन प्रभाग
चम्पावत वन प्रभाग

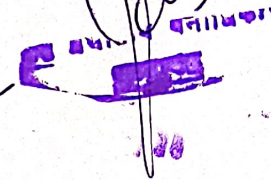
Online 11/11/2019

प्रारूप-43

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकांडा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य निर्माण हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम - वारी गूठ में चयनित 3.06 है० सिविल भूमि में से 2.06 है० स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। जबकि 1 है० भूमि में मध्यम घना जंगल होने के कारण उक्त क्षेत्र में बांज के वृक्षों की प्रधानता होने से बांज का सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन(A.N.R.) कार्य किये जाने की योजना प्रस्तावित है।


प्रमाणित वन प्रभाग चम्पावत।



वन अधिकारी
देवीधूरा वन प्रभाग
चम्पावत वन प्रभाग

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

S.N.	PARTICULAR	COMMENTS OF INSPECTING OFFICER
1	Extent in hectares	1.530 ha
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Starting point -N 29°24'36.53" E 79° 49' 32.51" Ending point -N 29° 24'12.06" E 79° 49' 21.62"
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	RF
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	0.40% density. Species: Pinus roxburghii.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Barking deer, Leopard, Monkey etc. are found in this area.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Mixed pine forest.
10	Current land use in this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	The area comprises of mixed Pine forest. Working plan for the division is being revised. Hence, there is no current land use being undertaken in this area.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No historical or religious monuments are situated nearby.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	N 29°23'54.81" E 79° 49' 53.34" N 29° 23'47.36" E 79° 49' 45.33" N 29° 23'48.46" E 79° 49' 48.59" Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area- 30 metre(approx.)
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area does not fall under any protected area. It is more than 10.km away from Nandhaur Wildlife Sanctuary.

17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No dependence of tribals in this area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	The proposed project will provide road facility to the villagers of katna and wari.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	NA
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	NA
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Certificate uploaded by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	NA
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	Project is in public interest. Hence, recommended.

Signature-

Name-Naveen Chandra Pant

Designation-DFO, Champawat

Seal-

(Signature)
(Stamp)

Project will provide road facility to the villagers of katna and wari.

No dependence of tribals in this area

Whether the rights of